

HARYANA ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

BAYS NO. 33-36, SECTOR-4, PANCHKULA – 134112

Notification

The 19th July, 2024

Regulation No. HERC/55/2021/1st Amendment/2024: - The Haryana Electricity Regulatory Commission, in exercise of the powers conferred on it by section 181 of the Electricity Act 2003 (Act 36 of 2003) and all other powers enabling it in this behalf, after previous publication, makes the following regulations: -

1. Short title, commencement, extent of application and interpretation

- (1) These Regulations may be called the Haryana Electricity Regulatory Commission Terms and Conditions for setting up Charging Infrastructure, Tariff and other Regulatory issues for Electric Vehicles), Regulations, 2021, (1st Amendment) Regulations, 2024.
- (2) These regulations shall come into force on the date of their publication in the Haryana Government Gazette.
- (3) These regulations shall extend to the whole of the State of Haryana.

2. Amendment of Regulation 17 (f)

Regulation 17 (f) shall be read as under: -

“In case of HT connection for E-Vehicle Charging Station(s) for load upto 200 kW, the cost of separate / dedicated transformer along with allied equipment shall be borne out of CSR fund of Discoms to rein in cost of installation(s).

Provided that in case of short fall in the CSR fund of Discoms, the distribution licensee shall claim the same in the ARR/True up petition filed by the distribution licensee.”

3. Amendment of Regulation 18 (e)

Regulation 18 (e) shall be read as under: -

“In case of HT connection for E-Vehicle Charging Station(s) for load upto 200 kW, the cost of separate / dedicated transformer along with allied equipment shall be borne out of CSR fund of Discoms to rein in cost of installation(s).

Provided that in case of short fall in the CSR fund of Discoms, the distribution

licensee shall claim the same in the ARR/True up petition filed by the distribution licensee.”

4. Insertion of clause 17 (2):

“HT metering can be provided by installing outdoor CT/PT unit on H Pole along with transformer at the nearest point outside the explosive zone (only in the fire prone areas like petrol pump, gas agency etc.) and taking LT supply inside the charging station as it this would practically tantamount to giving supply on LT.”

**Panchkula
The 19th June 2024**

**By Order of the Commission
(Sd.),
Deputy Secretary (Personnel)
for Secretary, HERC**

हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग

बेज नंबर: 33-36, सेक्टर-4

पंचकूला- 134112

अधिसूचना

दिनांक 19 जुलाई 2024

विनियमन संख्या: एचईआरसी /55/2021 /प्रथम संशोधन/2024: - हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग, विद्युत अधिनियम 2003 (2003 का अधिनियम 36) की धारा 181 द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस संबंध में इसे सक्षम करने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पिछले प्रकाशन के उपरांत, निम्नलिखित विनियम बनाए गए हैं-

1. संक्षिप्त शीर्षक, प्रारंभ, प्रयोग की सीमा और व्याख्या

- (1) इन विनियमों को इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, टैरिफ और अन्य विनियामक मुद्दों की स्थापना के लिए हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग के विनियम और शर्तों), विनियम, 2021, (प्रथम संशोधन) विनियम, 2024 कहा जाएगा।
- (2) ये विनियम हरियाणा सरकार के राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
- (3) ये विनियम पूरे हरियाणा राज्य में लागू होंगे।

2. विनियम 17 (एफ) में संशोधन

विनियम 17 (एफ) को इस प्रकार पढ़ा जाएगा: -

200 किलोवाट तक लोड के लिए ई-वाहन चार्जिंग स्टेशन के लिए एचटी कनेक्शन के मामले में, स्थापित करने की लागत पर नियंत्रण लगाने के लिए संबद्ध उपकरणों के साथ अलग / समर्पित ट्रांसफार्मर की लागत डिस्कॉम्स के सीएसआर फंड से वहन की जाएगी।

बशर्ते कि डिस्कॉम्स के सीएसआर फंड में कमी की स्थिति में, वितरण लाइसेंसधारी द्वारा दायर एआरआर/डू अप पिटीशन में इसका दावा करेगा।

3. विनियम 18 (ई) में संशोधन

विनियम 18 (ई) को इस प्रकार पढ़ा जाएगा: -

200 किलोवाट तक लोड के लिए ई-वाहन चार्जिंग स्टेशन के लिए एचटी कनेक्शन के मामले में, स्थापित करने की लागत पर नियंत्रण लगाने के लिए संबद्ध उपकरणों के साथ अलग / समर्पित ट्रांसफार्मर की लागत डिस्कॉम्स के सीएसआर फंड से वहन की जाएगी।

बशर्ते कि डिस्कॉम्स के सीएसआर फंड में कमी की स्थिति में, वितरण लाइसेंसधारी द्वारा दायर एआरआर/डूअप पिटीशन में इसका दावा करेगा।

4. खंड 17 (2) का सम्मिलन: -

विस्फोटक क्षेत्र के बाहर निकटतम बिंदु पर ट्रांसफार्मर के साथ एच पोल पर आउटडोर सीटी/पीटी यूनिट स्थापित करके एचटी मीटरिंग प्रदान की जा सकती है (केवल अग्नि जैसे संभावित क्षेत्रों जैसे पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी आदि में) और एलटी सप्लाई को चार्जिंग स्टेशन के अंदर ले जाना व्यावहारिक रूप से एलटी पर आपूर्ति देने के समान होगा।

पंचकूला
दिनांक 19 जून 2024

आयोग के आदेश द्वारा
हस्ता/-
कृते उप सचिव (कार्मिक)
सचिव, एचईआरसी